रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 9, 1987/कार्तिक 18, 1909
No. 15] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 9, 1987/KARTIKA 18, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

13-1-88

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

का. नि. आ. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार, सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के अध्यधीन सभी व्यक्तियों के बारे में, जो उसकी धारा 3 के खण्ड (1) के अधीन सक्रिय सेवा में नहीं है, यह समझा जाएगा कि वे श्रीलंका में भारतीय शान्ति सेना

में सेवारत रहते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत सक्रिय सेवा में हैं।

[फाइल सं. 50451/एजी/डी वी-1/1075-एस/डी (एजी)]

अरविन्द कौल, संयुक्त सचिव (पी एंड डब्ल्यू)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th November, 1987

NOTIFICATION

S.R.O. 20 (E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby declares that all persons subject to the said Act, who are not on active service under clause (i) of section 3 thereof, shall, while serving with the Indian Peace Keeping Force in Sri Lanka, be deemed to be on active service within the meaning of that Act for the purposes of the aforesaid Act and of any other law for the time being in force.

[File No. 50451|AG|DV-1|1075-S|D (AG)]

ARVIND KAUL, Jt. Secy. (P&W)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987